न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :–198/2018 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956)(RCMS No.2018/00217)

देवीराम पुत्र मूली कौम जाट निवासी नगला भौगरा तहसील नगर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. नन्नू पुत्र भूधर जाति जाटव निवासी नगला भौगरा तहसील नगर जिला भरतपुर (मृतक)
   1/1 जलसिंह
   1/2 सुरेश
   } पुत्रान नन्नू जाति जाटव नि0 भौगरा तहसील नगर जिला भरतपुर
2. तहसीलदार तहसील नगर जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर डीग दिनांक 21.2.2018व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 04 वाकै ग्राम नगला भौगरा तह0 नगर दिनांक 4.1.1982

उपस्थितिः–

श्री महाराजसिंह, एडवोकेट, अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः–5–7–2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 21.2.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष एक अपील नामा0 संख्या 4 वाकै ग्राम नगला भौगरा तहसील नगर पर तहसीलदार नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.1.1982 के विरूद्ध इस आशय की पेश की गई कि गत खसरा नम्बर 90/2.00, 91/1.6, 92/2.00, किता–3 रकबा 5 बीघा 6 विस्बा वाकै ग्राम नगला भौगरा तहसील नगर को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 6.10.80 को रैस्पो0 संख्या 1 को विकय किया गा था। बयनामा के बाद सैटिलमेन्ट की प्रकिया चालू हो गई इसी कारण राजस्व कर्मियों ने अपीलान्ट द्वारा जो गत ख0नं0 90/2.00, 91/1.6, 92/2.00, किता–3 रकबा 5 बीघा 6

विस्वा रैस्पो0 को बेचे गये थे उनमें से ख0नं0 90/2.00 का नवीन ख0नं0 81/0.37 व गत ख0नं0 92/2.00 व 91/1.6 को मिलाकर नवीन ख0नं0 82/0.37 है0 बनाये गये किन्तु तहत अदालत तहसीलदार नगर द्वारा नवीन ख0नं0 80/0.09 को अपीलान्ट को अन्यअन्य साविक खातेदारी के ख0नं0 79 रकबा 15 विस्वा को गलत रूप शामिल करते हुये नवीन ख0नं0 80/0.9 बनना दर्शित करते हुये रैस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया है। जबकि अपीलान्ट द्वारा गत ख0नं0 79 रकबा 15 विस्वा का कोई बयनामा रैस्पो0 को नहीं कराया था। तहत न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 4.1.82 अपीलान्ट की बैक पर बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये व बिना नोटिस दिये चढाया है। इस कारण अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। इस निर्णय विरूद्ध के अपीलांट ने अदालत मातहत में यह उल्लेख करते हुये कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 04.05.2017 को पटवारी हल्का से नकल लेने पर हुई। जानकारी की तिथी से अपील अंदर मियाद पेश की गई थी कि अदालत मातदत द्वारा नामांनतरण संख्या 04 दिनांक 04.01.82 नियम विरूद्ध है क्योंकि अपीलांट द्वारा गत खसरा नं0 79 रकबा 0.15 बिस्वा रैस्पोडेंट को विकय नहीं किया गया था परंतु तहसीलदार नगर द्वारा बिना जांच किये नामांतकरण तस्दीक किया गया जो कि काबिले अपास्त था परंतु अति जिला कलक्टर द्वारा डीग द्वारा अपीलांट की अपील दिनांक 21.02.18 का खारिज कर अदालत मातहत आदेश यथावत रखा है जो कि विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.18 की अपीलांट के वकील द्वारा जानकारी नहीं दी गई। अपीलांट द्वारा दिनांक 21.10.18 को अपीलांट के वकील से मिलने पर इस निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी प्राप्त होते ही निर्णय की नक्ल प्राप्त कर अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत की ओर से पारित आदेश दिनांक 21.02.18 व तहसीलदार नगर द्वारा पारित नामांकरण संख्या 04 दिनांक 04.01.82 को निरस्त किया जावें। अपील पेश होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई व रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहत पत्रावली तलब की गई। वकील अपीलान्ट उपस्थित रैस्पोडेन्ट उपस्थित नहीं। प्रकरण में वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि विवादित अराजी खसरा नम्बर 80/0.9 (गत 79/0.15) वाकै ग्राम नगला भौगरा तहसील नगर जिला भरतपुर का कोई विकयपत्र अपीलार्थी ने उत्तरवादी के हक में निष्पादित नहीं किया है इसलिऐ इस खसरा नम्बर की सीमा तक नामान्तरकरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि जो नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 4.1.82 को प्रथम अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकृत किया है उसमें विकय गत ख0नं0 90/2.00, 91/1.6, 92/2.00 वाकै ग्राम नगला भौगरा तहसील नगर किया गया है जिसके नये नम्बरान 81/0.37, 82/0.37, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बने है। इस प्रकार विकय नम्बरान

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

6.2.2019
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नया खसरा नम्बर 80/0.09 नहीं बना है इस के बावजूद भी नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है जो कि कतई गलत है तथा निरस्तनीय है। यह कि हाल व साबिक मिलान क्षेत्रफल व मौका देखकर ही न्यायालय तहत को आदेश नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश देना चाहिए था। इस प्रकार बिना मौका देखे व बिना सूचना दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में भारी भूल की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि प्रथम विचारण न्यायालय का आदेश बिल्कुल सही है कतई गलत है क्योंकि जिस खसरा नम्बर 80/0.9 पर अन्य खसरा नम्बरान के साथ-साथ जो नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है उस खसरा नम्बर का कोई विक्रय ही नही हुआ तो फिर उसे विधिवत होना कैसे माना जा सकता है। अतः खसरा नं0 80 की हद तक अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करना चाहिए था परंतु अदालत मातहतों ने ऐसा नहीं कर अपीलाधीन आदेश देने में हर दो न्यायालय ने भी त्रुटि की है। यह कि कब्जा काश्त भी विवादित आराजी खसरा नम्बर 80/0.9 पर अपीलार्थी का निरन्तर चला आ रहा है जिसके सम्बन्ध में प्रथम विचारण न्यायालय ने कोई जानकारी मौके पर जाकर नहीं की है। इस प्रकार बिना कब्जे के हस्तान्तरण के खण्डनाधीन आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय का मानना कि रकबा दुरूस्ती के लिये अपील को सक्षम न्यायालय के समक्ष नियमित वाद दायर करना चाहिऐ कतई गलत है इस प्रकार से नामान्तरकरण भरने व स्वीकृत करने में गलती हुई है। इसलिऐ शुद्धीकरण भी नामान्तरकरण के निरस्त करने से ही की जा सकेगी। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटि पूर्ण व निरस्तनीय है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.18 की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता लोकेन्द्र जी द्वारा नहीं दिये जाने के कारण नहीं हो सकी। दिनांक 21.10.18 को अपीलांट के अधिवक्ता से मिलने पर उक्त निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर नक्ल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निर्णय की नक्ल प्राप्त होने के अंदर मियाद अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब को कण्डोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा जानबूझकर गलती नहीं की गई है, वरन अधिवक्ता द्वारा कोई सूचना नहीं दिये जाने के कारण देरी हुई है। जिसके लिए धारा-5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। इस आधार पर वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अंदर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकरअति0 जिला कलक्टर डीग द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.2.2018 व तहसीलदार नगर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 4.1.1982 निरस्त किये जावें तथा अपीलान्ट के हक में विवादित आराजी का नामान्तरकरण स्वीकृत करने की अनुमति दी जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनने व मनन करने व अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली का अवलोकन करने के बाद प्रकरण में प्रथमतः मियाद संबंधी बिन्दु पर विचार किया गया। मियाद के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

...रा आर.आर.डी. 2002 पेज 37 पर उद्धरित निर्णय में निम्न सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि:–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा इसी प्रकार आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने निम्न सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि–

"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

चूंकि अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में रैस्पोडेन्ट द्वारा कोई प्रतिवाद नहीं किया गया है तथा न हीं काउंटर शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः उपरोक्त नजीरों में वर्णित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्वांतों से सादर सहमत होते हुये अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो हम अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.02.18 में किसी तरह की अवैधानिकता व अनियमितता नहीं पाते है क्योंकि अपीलाधीन निर्णय विद्वान अति0 जिला कलक्टर डीग द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत हुये रिकॉर्ड व दस्तावेज के आधार पर पारित किया गया है। वकील अपीलांट यह तर्क कि उनके द्वारा रैस्पोडेन्ट को खसरा नं0 80 रकबा 0.09 हैक्ट0 का विक्रय नहीं किया गया है तथा न ही उक्त खसरा नं0 विक्रय किये गये साविक खसरा नं0 90, 91 व 92 से बना है। तो इस संबंध में अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत में व न हीं अदालत हाजा में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये सेटलमेंट के दौरान तैयार किये मिलान क्षेत्रफल की प्रति पेश की है जिससे उनके कथन की पुष्टि होती हो। दूसरी ओर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 4 दिनांक 04.01.1982 जिसकी अपील अदालत मातहत में की गई थी, के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट की खातेदारी में स्थित साविक खसरा नं0 90 रकबा 4 बीघा व 91 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल 05 बीघा 1 बिस्वा के हाल खसरा नं0 81 रकबा 0.37 हैक्ट0, खसरा नं0 82 रकबा 0.37 हैक्ट0 व खसरा नं0 80 रकबा 0.09 हैक्ट0 बने है न इसका रैस्पोडेन्ट के पक्ष में हुए विक्रय पत्र दिनांक 06.10.1980 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 4 दिनांक 04.01.1982 खोला गया है। इस आधार पर विद्वान अति0 जिला कलक्टर डीग ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.02.18 में यह मानते हुए कि नामान्तरकरण संख्या 4 पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.10.1980 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा खोले जाने, भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच किये जाने के बाद तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है जो कि विधि अनुसार पंजीबद्व दस्तावेज के अनुसार ही दर्ज होकर स्वीकृत किया जाना मानते हुए त्रुटि होना नही माना है जो कि उचित प्रतीत होता है।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलांट की ओर से अदालत हाजा में भी मीमो अपील के साथ जो दस्तावेज पेश किये हैं उनमें नामान्तकरण संख्या 4, दिनांक 05.01.1982 व जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 की प्रमाणित प्रति पेश की है। जिसमें विवादित खसरा नं0 80 रकबा 0.9 हैक्ट0 के 0/2 हिस्से में रैस्पोडेंट सहखातेदार दर्ज है तथा खसरा नं0 81 व 82 रक्बा कमशः 0.37 हैक्ट0, 0.37 हैक्ट0 में खातेदार दर्ज है। इसी तरह अदालत मातहत में प्रस्तुत वयनामा दिनांक 06.10.1982 के अनुसार अपीलांट द्वारा रैस्पोडेंट के खसरा नं0 90 को 2 बीघा, 91 को 1 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नं0 92 का 2 बीघा कुल 05 बीघा 01 बिस्वा रकबा विक्रय किया गया तथा इसी आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 4 दिनांक 30.12.1981 को खुला गया। इसकी जांच भू0 अभि0 निरीक्षक द्वारा दिनांक 04.01.82 को की गई तथा दिनांक 05.01.1982 से तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किया गया है जो कि नियमानुसार भरा गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.02.2018 व नामान्तकरण संख्या 4 दिनांक 05.01.1982 को यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर